संख्या–539 / XXIV(8)/2009-35/06

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून, दिनांक: 23 :अप्रैल, 2009

विषय– उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना हेतु सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक के सामने राज्य सरकार के नाम दर्ज भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–557 / XVIII(II) / 2009–3(14) / 09, दिनांक 20 अप्रैल, 2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ग्राम सुद्धोवाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में राज्य सरकार के नाम दर्ज 8.372 है0 भूमि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून को निःशुल्क निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने / पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्राधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150 / 1 / 85(24)–रा–6, दिनांक 09.10.1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गर्वनमेन्ट ग्रान्टस एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो केलिए होगा और पट्टेदारों के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की अवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) उपरोक्त आवंटन मा0 न्यायालयों में लम्बित वादों के अधीन होगा।

(7) प्रस्तावित भूमि पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित भूमि के लीज डीड निष्पादन के पूर्व मा0 न्यायालयों में लम्बित सभी मामलों को देखकर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोई अन्तरिम आदेश/स्थगनादेश/यथास्थिति बनाये रखने का आदेश (Status que) किसी मा0 न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि के बारे में जारी नहीं किया गया है एवं किसी न्यायालय द्वारा वर्तमान में पारित कोई आदेश की अवहेलना या आदेश के प्रतिकूल भूमि आवंटन न हो। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आवंटन मा0 न्यायालयों के आदेशों के अधीन होगा।

(9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या–1 से 8 में से किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।